स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
Solid Waste Management

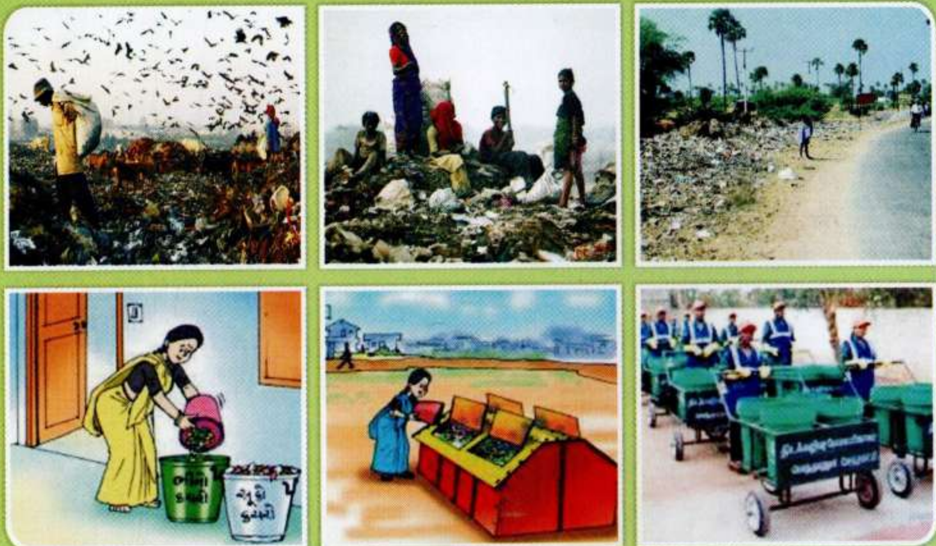

Reduce — Reuse — Recycle

इन अपशिष्टों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से युक्ति संगत सही प्रबंधन करें

BIHAR

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट-सदाकत आश्रम, पटना-10

दूरभाष नं०-0612-2261250/2262265, फैक्स-0612-2261050

ई.मेल-bspcb@yahoo.com, वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in.

ठोस अपशिष्ट
(Solid Waste)

मानवीय क्रियाकलापों के कारण किसी वस्तु का उपयोग के पश्चात् जब परित्यक्त कर दिया जाता है तो उसे हम **अपशिष्ट कहते** हैं। शहरी स्थानीय निकाय एवं अन्य अधिसूचित क्षेत्र से जनित ठोस या अर्द्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, सांस्थानिक अपशिष्ट, खान-पान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, गली सफाई जनित अपशिष्ट, सतह नालियों से हटायी गयी या एकत्रित गाद, उद्यान कृषि अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट एवं उपचारित जीव-चिकित्सा अपशिष्ट को **ठोस अपशिष्ट** के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अन्तर्गत क्षेत्र से जनित औद्योगिक अपशिष्ट, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई.-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट एवं रेडियो एक्टिव अपशिष्ट नहीं आते हैं। घरेलू स्तर पर उत्पन्न अपशिष्ट यथा-पेन्ट ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी.एफ.एल बल्ब, टयूब लाईट, अवधि समाप्त औषधियां, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरी, सूई, सिरिन्ज एवं दूषित पट्टियां को 'घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट' कहा जाता है। सूक्ष्म-जीवाणुओं द्वारा विघटित किये जाने वाले कार्बनिक अपशिष्ट को जैव-विघटन योग्य अपशिष्ट कहा जाता है।

ठोस अपशिष्ट को समुचित तरीके से प्रबंधित नहीं किये जाने के कारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कुप्रभावित होता है। अत: ऐसे अपशिष्ट का नियमानुकूल सही प्रबंधन आवश्यक है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016
[The Solid Waste Management Rules, 2016]

शहरी एवं अन्य अधिसूचित क्षेत्रों से जनित होने वाले ठोस अपशिष्टों के समुचित प्रबंधन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पुराने संबंधित नियमावली का अधिक्रमण करते हुए **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016** अधिसूचित किया गया है।

1. यह नियमावली प्रत्येक शहरी स्थानीय निकायों, शहरी क्षेत्रों के विस्तार, अधिसूचित क्षेत्रों, अधिसूचित औद्योगिक नगरी, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों, विमानपत्तनों, रक्षा स्थापनाओं एवं अन्य उल्लिखित क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक घरेलू, सांस्थानिक, वाणिज्यिक और किसी भी अन्य गैर-आवासीय ठोस अपशिष्ट जनित करने वाले पर लागू होता है।
2. इस नियमावली के तहत ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु, ठोस अपशिष्ट उत्पादनकर्त्ताओं, शहरी स्थानीय निकायों एवं अन्य उल्लिखित क्षेत्रों, केन्द्र और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरणों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया गया है।
3. **अपशिष्ट जननकर्त्ताओं के कर्त्तव्य:-**

- अपने द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को जैव-विघटन योग्य (bio-degradable), गैर-जैव-विघटन योग्य (non-bio-degradable) और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में पृथक्करण (segregation) एवं संग्रहण करना तथा इसे स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्त्ता को सौंपना।
- उपयोग किये गये स्वास्थ्यकर पैडों (sanitary pads) आदि को थैली/कवर में रखकर गैर-जैव-विघटन योग्य अपशिष्ट के लिए बनाये गये डिब्बों में डालना।
- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक्क रूप से भंडारित कर उसे निर्माण एवं

विध्वंस नियमावली के अनुसार निपटान करना।

- अपने परिसर से उत्पन्न कृषि एवं उद्यान से जनित अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक्करण एवं भंडारण कर स्थानीय निकाय के निदेशानुसार इसका निपटान करना।
- अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थलों, नाली या जलाशयों में न फेकना, न जलाना और न गाड़ना।
- ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु स्थानीय निकायों के उपविधियों (byelaws) के तहत निर्धारित फीस अदा करना।
- स्थानीय निकाय को सूचित किए गये किसी आयोजन या समारोह का आयोजनकर्त्ता द्वारा आयोजक स्रोत पर ही अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करना और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित (specified) अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपना।
- प्रत्येक मार्ग बिक्रेता (Street vendor) अपने कार्याकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट यथा: डिस्पोजेबल खाद्य प्रयोज्य प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखना और ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट डिपो या पात्र वाहन में डालना।
- सभी आवास कल्याण और बाजार संघ, 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान एवं होटल और रेस्टोरेंट स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में जनित अपशिष्टों का स्रोत पर पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रह करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वाले अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करना। जैव-विघटन योग्य अपशिष्टों को परिसर के अंदर उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथानेशन के जरिए यथा संभव निपटान किया करेंगे। शेष अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्त्ताओं या अभिकरण को देना।

4. स्थानीय निकायों एवं अन्य अधिसूचित क्षेत्रों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व:-

- राज्य नीति के तहत छ: माह के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करना तथा राज्य सरकार के संबंधित विभाग की इसकी प्रति उपलब्ध करना।
- मलिन बस्तियों तथा अनौपचारिक आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक, संस्थागत एवं अन्य गैर-आवासीय परिसरों सहित सभी घरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का द्वार-द्वार से संग्रहण की व्यवस्था करना।
- बहु-मंजिली भवनों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉलों, आवासीय परिसरों इत्यादि से प्रवेश द्वार या किसी चिन्हित स्थल से अपशिष्ट का संग्रहण करना।
- कूड़ा चुनने वाले/अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहणकर्त्ताओं के संगठन को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करना।
- इस नियमावली के उपबंधों को समाविष्ट करते हुए उपविधियां (Byelaws) बनाना।
- अपशिष्ट जननकर्त्ताओं को अपशिष्टों को स्रोत पर ही पृथक्करण करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा-करकट नहीं फैलाने संबंधित निदेश देना।
- पुन:चक्रणीय अपशिष्ट से उपयोगी सामग्री निकालने हेतु पर्याप्त स्थान के साथ भंडारण सुविधाएँ स्थापित करना जहां अपशिष्ट चुनने वाले और अपशिष्ट संग्रह करने वाले पुन:चक्रणीय सामग्री यथा: कागज, प्लास्टिक, धातु, शीशा आदि पृथक्क कर सके।
- जैव-विघटेय अपशिष्टों के संग्रहण हेतु हरा रंग से मुद्रित डिब्बा, पुन:चक्रणीय अपशिष्ट के लिए सफेद रंग से मुद्रित डिब्बा एवं अन्य अपशिष्ट के भंडारण के लिए काला रंग से मुद्रित डिब्बा की व्यवस्था करना।
- घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को जमा करने हेतु अपशिष्ट निक्षेपण केन्द्र की स्थापना करना तथा इसे निपटान सुविधा तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना।
- गली की सफाई से संग्रहित पेड़ के पत्तों आदि को खुले में नहीं जलाने से संबंधित निदेश देना।
- उपयुक्त प्रौधोगिकी जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रौधोगिकी भी है, को अंगीकार करते हुए स्वयं या निजी क्षेत्र के सहभागी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, भूमि-भरण सहित अवसंरचना का निर्माण तथा इसका रख-रखाव एवं संचालन की सुविधा प्रदान करना।

a. जैव-मिथैनिकरण, सूक्ष्म जैविक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, अनारोबिक डाईजेशन या जैव निम्नकरणीय-अपशिष्टों के जैव स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य समुचित प्रसंस्करण।

b) दहनशील अपशिष्ट को ऊर्जा प्रक्रियाऐं या अपशिष्ट आधारित विद्युत प्लांट या सीमेंट प्लांट को फीड स्टॉक के रूप में आपूर्ति करना।

- अपशिष्ट प्रसंस्करण, उपचार एवं निपटान सुविधा की स्थापना हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु प्रपत्र-1 में आवेदन समर्पित करना।

5. शहरी विकास विभाग के कर्त्तव्य:-

- ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु राज्य नीति तैयार करना
- नियमावली का सभी स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा इन नियमों के उपबंधों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान सुविधाऐं स्थापित करने के लिए स्थानीय निकायों हेतु उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन सुनिश्चित करना।
- अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट के व्यापरियों के पंजीकरण शुरू करना।

6. जिला पदाधिकारी के कर्त्तव्य:-

- राज्य शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव के समन्वयन से अपने जिला में स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा की स्थापना करन हेतु उपयुक्त भूमि की पहचान तथा आवंटन सुनिश्चित करना।

7. इस नियमावली का कार्यान्वियन स्थानीय निकाय तथा अन्य संबंधित प्राधिकार के द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर सुनिश्चित करना है।

8. दंडात्मक व्यवस्था:-

इन नियमों का उल्लंघन पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत दिये गये दंडात्मक व्यवस्था को आकृष्ट करेगा जो ऐसे अपराधों के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 वर्षों तक का कारावास, जुर्माना के बिना अथवा अधिकतम एक लाख रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों की सजा तक दंडनीय है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा मार्च, 2018 में प्रकाशित एवं
न्यू ग्राफिक प्रिंटर्स, पटना, मो.- 9334186311 द्वारा 1000 प्रतियाँ मुद्रित

NEW GRAPHIC PRINTER, Patna # 9431018714